


बनाम राजस
 मुकदमा नं. 179
 किरम मुकदमा दुलारी
 मुकदमा नं. 221/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	गम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
22/1/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/437 दिनांक 22/1/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक 61MP की जमाबन्दी सम्वत् 2071-72 के खाता नं. 14 में खातेदार <u>महेन्द्र इफिधेन्द्र सिंह दुलार</u> के नाम पर <u>महेन्द्र इफिधेन्द्र सिंह दुलार</u> अंकित है। जिसका नाम <u>महेन्द्र कुमार</u> है। जिसकी <u>महेन्द्र इफिधेन्द्र सिंह दुलार</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 22/1/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर बाके चक 61MP के खाता नं. 14 में दर्ज खातेदार <u>महेन्द्र इफिधेन्द्र सिंह दुलार</u> के खाता पर <u>महेन्द्र कुमार सिंह दुलार</u> की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	


 उप जिला कलक्टर
 राजस्व लोक अदालत
 रायसिंहनगर
 न्याय आ के द्वार-2018
 कैम्प कोर्ट 22/1/18
 सपरअहकामि (राजस्व) रायसिंहनगर